प्रेस विज्ञप्ति

कैदियों के मतदान अधिकार और प्रस्तावित अग्रिम मार्ग विषय पर सार्वजनिक सलाह के परिणाम

सरकार ने आज (9 अप्रैल) को कैदियों के ''मतदान अधिकार और प्रस्तावित अग्रिम मार्ग के परिणामों की घोषणा की, जिसका केन्द्र बिन्दु सलाह अभ्यास के अन्तर्गत विचारों पर केन्द्रित था।

जितनी भी सबमिशन प्राप्त किये गये उनमें से अधिकांश ने कैदियों के वर्तमान अयोग्यता, जो उन्हें निर्वाचक चुने जाने से रोकती है, उनको हटाने पर बल दिया। सार्वजनिक मंचों में आने वाले अधिकांश विचारों में भी इस अयोग्यता के हटाने को समर्थन दिया था।

कैदियों के मतदान अधिकार पर पौलिसी विकल्पों के संबंध में सबमिशनों के 49 प्रतिशत ने कैदियों के मतदान अधिकार को समर्थन दिया जिसमें उनकी सजा की अवधि की लम्बाई पर गौर नहीं किया गया।

जबकि 24 प्रतिशत ने कैदियों और चुनाव संबंधित या घुसखोरी के मामलों में अपराधी लोगों को मतदान की अयोग्यता को हटाने का समर्थन किया।केवल 4 प्रतिशत लोगों ने ही सजा की अवधि के आधार पर कैदियों को अयोग्य ठहराने का समर्थन किया।

मत सर्वेक्षण का परिणाम यह बताता है कि 57 प्रतिशत के लगभग साक्षात्कार यह समर्थन करते हैं कि कैदियों को उनके सजा की अवधि चाहे जितनी भी हों, उन्हें वोट

का अधिकार देना चाहिये। उनमें से 34 प्रतिशत के सभी कैदियों को वोट का अधिकार देने के लिए समर्थन नहीं दिया।

संवैधानिक और मुख्यभूमि मामले ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा, ''सलाह अभ्यास के परिणामों के संदर्भों में हम कैदियों के वर्तमान अयोग्यता को हटाने, जिसमें उन्हें वोटिंग के अधिकार से रोका गया है, का प्रस्ताव करते हैं।''

इस विषय पर काफी अलग–अलग विचार थे कि क्या, चुनाव संबंधी या घूसखोरी के अपराधों के अन्तर्गत अपराधी लोगों पर वर्तमान अयोग्यता क्या नहीं रहना चाहिये? मत सर्वेक्षण के जवाबदाताओं के अधिकांश लोगों ने वर्तमान प्रतिबन्ध को बनाये रखने का समर्थन किया, जिसमें सबमिशनों की काफी बड़ी संख्या ने इस प्रतिबन्ध को हटाने की मांग की।इसके समर्थन का मूल कारण यह है कि वोट का अधिकार हरेक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाने वाला मौलिक राजनीतिक अधिकार है। जैसा कि नियम है, अपराधी व्यक्तियों को उन्हें बन्दी बनाकर पहले ही दण्डित कर दिया जाता है और उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करना भी काफी अनुचित लगता है।

''सलाह के दौरान प्राप्त किये गये सभी विचारों के मद्देनजर और यह मुद्दा कि अधिकांश ओवरसीज क्षेत्राधिकारों का कैदियों के वोटिंग अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हम यह प्रस्ताव करते हैं कि चुनाव संबंधी या घूसखारी के अपराधी को वोटिंग और निर्वाचन के अधिकार से रोकने की वर्तमान अयोग्यता को हटा दिया जाए।''

सलाह अभ्यासों के परिणामों ने यह बताया है कि सलाह दस्तावेज में प्रस्तावित रिमांड में रखे गये सजाविहीन लोगों और कैदियों के वोटिंग अधिकारों के सार्वजनिक सामान्य समर्थन को बता दिया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन पते साथ ही चुनाव संबंधी सामग्री उपलब्धता और वोटिंग प्रबन्धन और वोटों की काउन्टिंग आती है।

चुनाव मामलों क आयोग कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ इन प्रबन्धों के विस्तृत जानकारी पर एक रूपरेखा तैयार करेगी।'संवैधानिक मामलों पर विधान परिषद पैनल को सलाह अभ्यास के परिणामों पर तथा प्रस्तावित अग्रिम मार्ग पर 20 अप्रैल को बैठक होगी।हमारी योजना लेग कं. में एक संशोधन बिल 2008/09 में आरम्भ करने की है, जिससे कि संबंधित अयोग्यता के प्रावधानों में संशोधन किया जा सके'' प्रवक्ता ने कहा।

छह सप्ताह का सार्वजनिक सलाह अभ्यास 23 मार्च को समाप्त हुआ। सलाह अवधि के दौरान कुल 70 के लगभग सबमिशनों की प्राप्ति करायी गयी। प्रशासन ने दो सार्वजनिक फोरमों को शुरू किया और इस मुद्दे में रूचि रखने वाले संगठनों से मुलाकात की जिससे इनके विचारों को इकट्ठा किया जा सके।

सलाह के परिणामों का रिपोर्ट हमें, गृह मामले के विभागों के सार्वजनिक खोज से या केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है, या संवैधानिक और मुख्य क्षेत्र मामलों के ब्यूरो के वेबसाईट से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

समाप्त होता है। बृहस्पतिवार, 9 अप्रैल 2009